

**प्रभारी अधिकारी, मालखाना अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर
बस्तर कांकेर , (छ0ग0)**

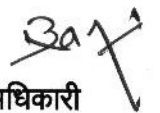
// ईशितहार //

सर्वसाधारण आमजनता को सूचित किया जाता है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने दाण्डिक प्रकरणों से संबंधित न्यायालय से संपत्ति पर्चा एवं आदेश अप्राप्त होने से नोटशीट दिनांक-16.10.2026 अनुसार पीतल,कांसे,स्टील व एल्युमिनियम के बर्तन एवं रेडियो का नीलाम किया जाना है। **नीलामी हेतु दिनांक-03.11.2026** की तिथि नियत की गई है। जिसकी सूचना 10 दिन पूर्व आम जनता तक पहुंचना आवश्यक है। दाण्डिक संपत्तियों की विस्तृत जानकारी जिला न्यायालय के बार रूम एवं कार्यालय कलेक्टर कांकेर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है। नीलामी की शर्तों की विस्तृत जानकारी के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कांकेर के वेबसाईड | <https://kanker.dcourts.gov.in/> का अवलोकन करें।

मालखाना में लंबित एवं रखे नीलामी योग्य संपत्तियों की सूची

क्र०	संपत्ति क्रमांक	न्यायालय का नाम	प्रकरण क्रमांक	पक्षकारों के नाम व धारा	संपत्ति का विवरण
01	371/83	Jmfc	372/83	राज्य वि. भावसिंह, 457,380 भा.द.सं.	एक बोरी में पीतल के बर्तन
02	316/83	Cjm	573/83	राज्य वि.नंदलाल,454,380 भा.द.सं.	दो नग फुलकांस थाली
03	304/83	Jmfc	269/83	राज्य वि.जोहर, 457,380 भा.द.सं.	01 नग फिलिप्स रेडियो
04	94/84	Jmfc	88/84	राज्य वि.आनंद विश्वकर्मा,325भा.द.सं.	01 नग कांस गिलास
05	141/86	Jmfc	738/85	राज्य वि.गागरू, 380भा.द.सं.	01 नग पीतल कांस कसेला
06	254/86	Jmfc	823/86	राज्य वि.रामलाल,380भा.द.सं.	01 नग फुलकांस थाली व कटोरा
07	66/87	Jmfc	118/87	राज्य वि.प्यारेलाल व अन्य, 454,380 भा.द.सं.	01 नग लोटा
08	67/87	Jmfc	119/87	राज्य वि. हानूलाल व अन्य, 380भा.द.सं.	01 नग छोटा थाली
09	51/88	Cjm	62/88	राज्य वि. देवलाल, 454,380 भा.द.सं.	01 नग फुलकांस थाली व 02 नग लोटा
10	304/88	Cjm	1005/88	राज्य वि. प्रेमबती,324भा.द.सं.	01 कांस का लोटा

11	387/88	Jmfc	518/88	राज्य वि.प्रकाश,380 भा.द.सं.	02 नग कांस थाली, 01 नग पीतल थाली
12	218/88	Jmfc	24/88	राज्य वि. मानकुंवरबाई,324भा.द.सं.	01 नग लोटा
13	328/88	Jmfc	132/88	राज्य वि. शिव प्रसाद, 454,380 भा.द.सं.	01 नग फुलकांस थाली
14	142/90	Cjm	283/90	राज्य वि. राजेश व अन्य,380,411 भा.द.सं.	01 नग पीतल बाल्टि पिचका हुआ, 02 नग पीतल स्टोव पिचका हुआ, 03 नग स्टील का छोटा-बड़ा बोल्ट
15	246/91	Jmfc	317/91	राज्य वि. छबीलाल,302,201 भा.द.सं.	एक बोरी में थाली,लोटा, कटोरी व अन्य सामान
16	297/92	Cjm	935/92	राज्य वि. संतोष व अन्य, 454,411 भा.द.सं.	एक प्लास्टिक बोरी में पीतल परात,पीतल गंजी, थाली व अन्य सामान
17	190/92	Jmfc	469/92	राज्य वि. सूजन कुमार,457,380 भा.द.सं.	02 नग कांसे की थाली,01 नग जर्मन कड़ाही, 01 नग जर्मन छोटा कटोरा
18	132/92	Cjm	918/92	राज्य वि. बहादुर कलार,376भा.द.सं.	01 नग जर्मन गंजी
19	336/92	Cjm	1205/92	राज्य वि. सुधीर,380भा.द.सं.	01 नग चपटी पीतल बाल्टि
20	388/92	Jmfc	849/92	राज्य वि. रामप्रसाद व अन्य 380/34 भा.द.सं.	02 नग छोटा पीतल गंज
21	56/92	Jmfc	74/92	राज्य वि. गोवेद,457,380 भा.द.सं.	एक नग पीतल गिलास
22	249/95	Jmfc	309/95	राज्य वि.जोहरराम, 379भा.द.सं.	एक नग टुटा हुआ पीतल का स्टोव
23	44/96	Jmfc	122/96	राज्य वि. फगनू, 396भा.द.सं.	03 नग पीतल गुण्डी
24	200/96	Cjm	673/96	राज्य वि. रिसाईन बाई	01 नग एल्युमिनियम डिब्बा


 प्रभारी अधिकारी
 मालखाना अनुभाग
 कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.

नीलामी कार्यवाही की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

01. नीलामी की कार्यवाही दिनांक **03.11.2026** को 11:00 बजे से प्रारंभ होगी।
02. नीलामी का स्थान प्रधान जिला न्यायालय कांकेर परिसर होगा।
03. दाण्डिक प्रकरणों में कुल जप्तशुदा संपत्ति जो जैसी स्थिति में है, वैसे ही नीलामी के लिये रखी जावेगी, उसका मूल्य वर्तमान दशा की स्थिति में उस संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य होगा, जिसके नीलामी के समय बोली लगाने वाले व्यक्ति को विक्रय कर दी जावेगी।
04. नीलामी दिनांक को न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कोई भी व्यक्ति भाग ले सकेगा, किन्तु न्यायालयीन कर्मचारी या उसका कोई सदस्य या उसका नातेदार/ रिश्तेदार अथवा अधिवक्ता एवं मुंशी नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा।
05. विक्रय मूल्य तत्काल नगद जमा किया जावेगा एवं विक्रय संपत्ति को तत्काल सौंप दिया जावेगा। विक्रयकृत संपत्ति के संबंध में जमा रकम के संबंध में क्रेता को तत्काल रसीद प्रदान की जावेगी।
06. नीलामी में भाग लेने वाला क्रेता अपनी स्वयं की पहचान संबंधी आधार कार्ड एवं उसकी छायाप्रति साथ लेकर आयेंगे।
07. नीलामी की जाने वाली संपत्ति का वजन नीलामी दिनांक को क्रेताओं के समक्ष किया जावेगा।
08. नीलामी कृत संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को दावा आपत्ति हो तो वह अपनी दावा आपत्ति नीलामी की तारीख 03.11.2026 के ठीक 01 दिन पहले तक प्रस्तुत कर सकेगा। अपनी दावा आपत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता को अपने आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर संबंधित संपत्ति से संबंधित नीलामी की कार्यवाही रोक दी जावेगी और दावा आपत्ति का निराकरण किया जावेगा।
09. प्राप्त दावा सभी संपत्तियों के निराकरण उसी दिन कर दिया जावेगा। यदि कोई दावा आपत्ति नहीं होती है तब ऐसी दशा में नीलामी की प्रक्रिया/कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी।
10. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नीलामी तारीख के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. प्रत्येक संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया की नोटशीट तैयार किया जावेगा।


प्रभारी अधिकारी
मालखाना अनुभाग
कार्या.प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला उत्तर बस्तर कांकेर छ.ग.